

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

रास्ता

बनाम

प्रीक्षा

बाद - पत्र

नं०

31/2019

सन्

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/11/2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर चाहा गया। वकील प्रतिवादी को जवाब हेतु अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी दिनांक 09/12/2022 को पेश हो।

S. P. 0

09/12/2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने न्यायालय में उपस्थित हो पत्रावली में अग्रिम कोर्ट अर्चवाही नहीं पाहने का निवेदन कर Not-Recd किया। वाद-पत्र को अवलोकन कर मंगल किया गया। वकील वादी द्वारा पत्रावली में कोर्ट अर्चवाही नहीं पाहने से प्रस्तुत वाद-पत्र को इसी वक्तार पर विद्वों में खरीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम की जाकर शामिल दफ्तर ले।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)